डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : अभि०/२५१/2023 दिनांक : ०८/12/2023

कार्यादेश

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
यू0पी0आर0एन0एस0एस0,
आगरा।

महोदय,

आपकी कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित आगणन के क्रम में भवन समिति की बैठक दिनांक 20.11.2023 में प्रदत्त स्वीकृति तथा वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.11.2023 एवं कार्य परिषद की बैठक दिनांक 29.11.2023 में प्राप्त अनुमोदन तथा मा0 कुलपति जी के अनुमोदन दिनांक 08.12.2023 के क्रम में निम्नानुसार कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र. स.	कार्य का नाम	प्राक्कलन की धनराशि लाख रु0 में
1.	विश्वविद्यालय के खन्दारी परिसर, पालीवाल पार्क परिसर, बागफरजाना सिविल लाइन्स परिसर एवं छलेसर परिसर में रुफटॉप सोलर सिस्टम स्थापना कार्य, प्रथम चरण में छलेसर परिसर एवं बेसिक विज्ञान संस्थान के कार्य कराये जाने हैं।	539.94

उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

1. उपरोक्तानुसार समस्त कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा विभागीय नियमानुसार सक्षम स्तर से वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकि स्वीकृति प्राप्त किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
3. प्रस्तावित निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एंव अन्य उच्च विशिष्टियों को इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर/विश्वविद्यालय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
4. समय–समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण/सत्यापन किया जायेगा।
5. प्रश्नगत कार्य के लिये शैड्यूल दर में निहित नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
6. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं प्र्यावारणीय किलयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रश्नगत प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में पूर्व मानचित्रों को आवश्यकता अनुरुप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकन अथार्टी से स्वीकृत कराया जायेगा।
9. कार्य का निर्माण समथबद्ध एवं गुणात्मक रुप से सुनिश्चित किया जायेगा तथा द्विरावृत्ति से बचने कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी एवं आवश्यतानुसार वीडियोग्राफी अवश्य कराई

जाए। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरुप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसे लिये उत्तरदायी होगी।

10. कार्य की विशिष्टियॉ मानक व उच्च गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. धनराशि का भुगतान विश्वविद्यालय नियमानुसार किया जायेगा।
12. कार्यादेश प्राप्त होते ही कार्यदायी संस्था द्वारा विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी से अनुबन्ध कराकर उसकी एक प्रति विश्वविद्यालय अभियन्ता को उपलब्ध करायी जाये।
13. प्रश्नगत कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समय से पूर्ण किया जाना अनवार्य होगा।
14. कार्य समय से ना पूर्ण करने पर विश्वविद्यालय द्वारा पैनाल्टी लगायी जा सकती है।
15. प्रस्तावित नैक निरीक्षण के अति–आवश्यक प्राथमिकता के कारण कार्य शीघ्र कराया जाना अति–आवश्यक है।

भवदीय

कुलसचिव

A.K.

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. अधीक्षक–कुलपति सचिवालय, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी।
3. सहायक कुलसचिव, प्रशासन/सम्पत्ति।
4. विश्वविद्यालय अभियन्ता।
5. गार्ड फाइल।

कुलसचिव